

2022/184

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)			
क्रमांक पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
29/22	212 RTA	इलाहाबाद	इलाहाबाद
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मुन्ना शाह उर्फ बुन्ना शाह		बनाम	बजरंगलाल वर्मा

वकील :- R.P. Goyal, Adv.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

13/5/22

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.06.2022 को पेश हो।

8/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील माफी उपस्थित। प्रतिवादी केरु 3 का वाद तालील संकेत प्राप्त। जिसकी ओर से श्री बालमुर्दू एण्डेल वाच एडवोकेट का कबलत नामी पेश हुआ जाबत हेतु सम्मन जारी है। साथ प्रतिवादी 1 व 2, पकड की तलवी हेतु शि. ए. व. तलबका पेश है। वास्ते तलवी जाबत पत्रावली दिनांक 20/7/22 को पेश हो।

7/2022

आज गैलरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/9/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

14/9/22

गैलरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30/9/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)



मनोज

न्यायाधीश

आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
घात होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 1.4.24 को पेश हो।

14

सेक्टर

न्यायालय सम्बन्ध अधिकारी

छबड़ा (बारा)

14.2.24

आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
घात होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 2.4.24 को पेश हो।

24

सेक्टर

न्यायालय सम्बन्ध अधिकारी

छबड़ा (बारा)

2.4.24

पत्रावली में उक्त वकील जर्नी उक्त वकील
जर्नी द्वारा जर्नी पत्र प्रेषण कर जर्नी पत्र
को खिन्नी काल माहने से वकील जर्नी को
दुक्त जर्नी पत्रावली का अनुरोध किया गया।
जर्नी का जर्नी पत्र स्वीकार किया जाता
है। जर्नी का जर्नी पत्र खिन्नी किया जाता
है पत्रावली में उक्त जर्नी पत्र का उक्त वकील
के द्वारा उक्त है

14